

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इमिशियल्स जज

19/01/25

पत्रावली पेश हुई। कमीशनर उमरापक्ष उपरान्त
चारों ओर व तलतीरों पर अपराधीगण की पता
पत्रावली दिनांक 09/01/25 को पेश हो।
उप उमरा अधिकारी
कोर्ट (रोवा)

07/02/25

कमीशनर पेश हुई। बकीलों द्वारा कार्य
कमिशनर/उ.ओ. सा. राज्य कार्य में व्यस्त
1 से जनरल सारीख पेशी में गई गत
कोर्ट की फालसा में दिनांक 11/2/25
को पेश हो।

उमरा अधिकारी

11/02/25

पत्रावली पेश हुई। कमीशनर उमरापक्ष उपरान्त
से. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28, 29, 30, 31,
34, 35 को जमाना प्रस्तुत करने हेतु पत्रावली अवसर
लिखित परंतु उक्त अपराधीगण द्वारा जमाना पेश
नहीं किया गया। अतः अपराधीगण से. 1, 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 28, 29, 30, 31, 34, 35 का जमाना
बंद किया जाता है। तसा साथ अपराधीगण से.
2, 3, 4, 6, 13 लगा. 27, 32, 33, 34 बावजूद
राजिस्टर्ड न. गमील अपराधीगण उक्त अपराधीगण से.
अपराधीगण से. 2, 3, 4, 6, 13 लगा. 27, 32, 33, 34
के विरुद्ध अधीय कार्यवाही की जाती है। बकील उमरापक्ष
द्वारा प्रस्तावित अधीय निषेधाज्ञा पर बहस होगी।
कमीशनर उमरापक्ष बहस परमनन किया। अपराधी
अधीय निषेधाज्ञा एवं पत्रावली का शर्तलोकन किया
गया। मूल फौरन दवा उद्घोषणा इन्डोलेन दुखाने
निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा बाधे मूल फौरन के विधिक
निर्धारण तक अपराधीगण को वादग्रस्त भूमि में मीन
करिबन्दी की शर्तलोकन बनाये रखने. खाम बहस
निर्माण नहीं करने हेतु पत्रावली दिया जाना उचित
दया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इमिशियलर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतीत होता है कि उक्त पक्ष कथित बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रकरण में जारी अंतरिम आस्थापी निपेधाज्ञा अल्लि फिबि 02/03/22 को हाफिल मूल प्रकटा बाद उन्मुख किया जाता है पत्रावली के समग्र गुणा होकर बाप तुम्हीन शाखिल दफ्तर है सुप खण्ड अधिकारी बांदीकुं (दोसा)	